

INDIAN POLITY

PARLIAMENT & QUALIFICATIONS OF MEMBERS

① 52nd (CAA)

સંવિધાન સંશોધન 1985

① 10th સુચુરવી
10th schedule

① 91st સંવિધાન
સંશોધન
const. Amend Act

દર-વરત વિરોધી કાયદો

Anti-Defection Act

① રાષ્ટ્રીય પ્રણાલી

Panch system

① 1952 - 1966

① 1967 - ફે અટક

સામનો મે રાજધાઈ
સત્કાર (coalition govt)

① 1989 ફે અટક સુધી મે

રાજધાઈ સત્કાર

① દર-વરત (Defection)

① MP/MLA સંસદો અને

વિધાનસભા

Elected/Nominal

दल-बदल
Defection

MP/MLA/सदन में अपने दल के निर्देश (Whip) के विरुद्ध कार्य करे (Against the Whip of their party)

MP/MLA, अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे resign from the membership of their party

मनोनीत सदस्य, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता 6 महीने बाद गृहीत करे (Nominatd MP/MLA) becomes a member of pol. body after 6 months

निर्दलीय MP/MLA - किसी दल का सदस्य बन जाये
Independent MP/MLA) becomes
a party

One line (एक
पंक्ति, अनुपस्थिति)

① Two line whip :-
सदन में उपस्थिति
Present

② Three line
उपस्थिति रहना,
मतदान भी करना

अपवाद (Exceptions)

① स्पीकर (Speaker)

उप स्पीकर (Deputy speaker)

② कोई दल अपने MP/MLA
को दल से निष्काशित (Expelled)
from party)

③ किसी दल में 2/3 बहुमत (MP/MLA)
पार्टी से अलग हो जाए, या किसी
अन्य पार्टी में विलयन हो (Merge)

निर्णय (Decision)

① स्पीकर (Speaker)

② पार्लियामेन्ट (Parliament)
को (shall not be subject
to judicial Review)

③

Qualification and disqualification of Member of parliament :-

☒ Introduction

- ☒ The Members of Parliament (MPs) play a crucial role in the Indian democratic system.
- ☒ Understanding the qualifications and disqualifications for MPs is essential for ensuring the integrity of the legislative process.

संसद सदस्य की योग्यता एवं अयोग्यता :-

☒ परिचय

- ☒ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सदस्य (सांसद) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ☒ विधायी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सांसदों की योग्यता और अयोग्यता को समझना आवश्यक है।

Qualifications for Membership

☒ Constitutional Provisions:

- ☒ Article 84 of the Indian Constitution outlines the qualifications for membership in the Lok Sabha (House of the People).
- ☒ A person must be a citizen of India to be eligible for membership.

☒ Additional Qualifications:

- ☒ Should not hold any office of profit under the government of India or any state government.
- ☒ Must be at least 25 years old for the Lok Sabha and 30 years for the Rajya Sabha (Council of States).
- ☒ Slide 4: Disqualifications for Membership

सदस्यता के लिए योग्यताएँ

☒ संवैधानिक प्रावधान:

- ☒ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 लोकसभा (लोगों का सदन) में सदस्यता के लिए योग्यताओं की रूपरेखा देता है।
- ☒ सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।

☒ अतिरिक्त योग्यता :

- ☒ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
- ☒ लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
- ☒ स्लाइड 4: सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

☒ **Constitutional Provisions:**

- ☒ **Article 102 and 191 of the Indian Constitution enumerate the grounds for disqualification.**
- ☒ **Grounds for Disqualification Include:**
 - ☒ **Holding an office of profit under the government.**
 - ☒ **Undischarged insolvent.**
 - ☒ **Not being a citizen of India or acquiring citizenship of another country.**
 - ☒ **Unsoundness of mind or being declared of unsound mind by a competent court.**

❑ **संवैधानिक प्रावधान:**

- ❑ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में अयोग्यता के आधार बताए गए हैं।
- ❑ अयोग्यता के आधार में शामिल हैं:
- ❑ सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना।
- ❑ निष्पुक्त दिवालिया.
- ❑ भारत का नागरिक न होना या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त न करना।
- ❑ मानसिक रूप से अस्वस्थ होना या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाना।

❑ Office of Profit

- ❑ An 'office of profit' refers to any position that brings financial gain, advantage, or benefit.
- ❑ MPs are disqualified if they hold an office of profit under the government.
- ❑ The President has the authority to decide on disqualification related to an office of profit based on the advice of the Election Commission.

❏ लाभ का पद

- ❏ 'लाभ का पद' किसी भी पद को संदर्भित करता है जो वित्तीय लाभ, लाभ या लाभ लाता है।
- ❏ यदि सांसद सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- ❏ राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर लाभ के पद से संबंधित अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है।



Recent Amendments

- ⊠ **Highlight recent amendments or changes in legislation related to the qualifications and disqualifications of MPs.**
- ⊠ **Discuss how these changes contribute to ensuring the transparency and efficiency of parliamentary functioning.**

☒ हालिया संशोधन

- ☒ सांसदों की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित कानून में हाल के संशोधनों या परिवर्तनों पर प्रकाश डालें।
- ☒ चर्चा करें कि ये परिवर्तन संसदीय कामकाज की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने में कैसे योगदान देते हैं।

Three Stages of Passage of a Bill in the Indian Parliament

❑ Introduction

- ❑ Bills are proposed laws that need to go through a specific legislative process to become laws in India.
- ❑ Understanding the three stages of the passage of a bill is crucial for comprehending the legislative functioning of the Indian Parliament.

भारतीय संसद में किसी विधेयक के पारित होने के तीन चरण

❑ परिचय

- ❑ विधेयक प्रस्तावित कानून हैं जिन्हें भारत में कानून बनने के लिए एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
- ❑ भारतीय संसद की विधायी कार्यप्रणाली को समझने के लिए किसी विधेयक के पारित होने के तीन चरणों को समझना महत्वपूर्ण है।

❑ **Stage 1 - Introduction of the Bill**

Key Points:

- ❑ **The bill is introduced in either the Lok Sabha (House of the People) or the Rajya Sabha (Council of States).**
- ❑ **The member presenting the bill is known as the 'sponsor.'**
- ❑ **The bill undergoes a 'first reading,' where its title is read out, and a copy is made available to all members.**

Significance:

❑ चरण 1 - विधेयक का परिचय

प्रमुख बिंदु:

- ❑ विधेयक या तो लोकसभा (लोगों का सदन) या राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में पेश किया जाता है।
- ❑ विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य को 'प्रायोजक' के रूप में जाना जाता है।
- ❑ विधेयक को 'प्रथम वाचन' से गुजरना पड़ता है, जहां इसका शीर्षक पढ़ा जाता है, और एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है।

महत्व:

☒ **Stage 2 - Consideration by Parliamentary Committees**

Key Points:

- ☒ **The bill is referred to a relevant parliamentary committee for detailed examination.**
- ☒ **Committees may include Standing Committees, Select Committees, or Joint Committees.**
- ☒ **Committees review the bill, seek expert opinions, and make recommendations.**

Significance:

- ☒ **Ensures thorough scrutiny, expert opinions, and a more informed decision-making process.**

❑ चरण 2 -संसदीय समितियों द्वारा विचार

प्रमुख बिंदु:

- ❑ विस्तृत जांच के लिए विधेयक को संबंधित संसदीय समिति के पास भेजा जाता है।
- ❑ समितियों में स्थायी समितियाँ, चयन समितियाँ या संयुक्त समितियाँ शामिल हो सकती हैं।
- ❑ समितियाँ विधेयक की समीक्षा करती हैं, विशेषज्ञों की राय लेती हैं और सिफारिशें करती हैं।

महत्व:

- ❑ संपूर्ण जांच, विशेषज्ञ राय और अधिक सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

☒ **Stage 3 - Voting and Passage**

Key Points:

- ☒ **After committee review, the bill returns to the House for the 'second reading.'**
- ☒ **Members debate and discuss the bill, and amendments may be proposed.**
- ☒ **The bill undergoes a 'third reading,' and members vote on it.**
- ☒ **If approved, it moves to the other House (Lok Sabha to Rajya Sabha or vice versa).**
- ☒ **The President's assent is required for it to become law.**

Significance:

- ☒ **Represents the final decision-making stage.**
- ☒ **Ensures democratic consensus through voting.**

❑ चरण 3 - मतदान और पारितोषिक

प्रमुख बिंदु:

- ❑ समिति की समीक्षा के बाद, बिल 'दूसरे वाचन' के लिए सदन में वापस आ जाता है।
- ❑ सदस्य विधेयक पर बहस और चर्चा करते हैं, और संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
- ❑ विधेयक 'तीसरे वाचन' से गुजरता है और सदस्य इस पर मतदान करते हैं।
- ❑ यदि स्वीकृत हो जाता है, तो यह दूसरे सदन (लोकसभा से राज्यसभा या इसके विपरीत) में चला जाता है।
- ❑ इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।

महत्व:

- ❑ अंतिम निर्णय लेने के चरण का प्रतिनिधित्व करता है।
- ❑ मतदान के माध्यम से लोकतांत्रिक सर्वसम्मति सुनिश्चित करता है।

☒ **Special Cases - Money Bills**

Definition:

- ☒ Bills that solely deal with national taxation or public expenditure.

☒ **विशेष मामले - धन विधेयक**

परिभाषा:

- ☒ ऐसे विधेयक जो पूरी तरह से राष्ट्रीय कराधान या सार्वजनिक व्यय से संबंधित हैं।

Procedure :

- ❑ **A money bill can only be introduced in the Lok Sabha.**
- ❑ **Rajya Sabha cannot reject or amend money bills, but it can suggest amendments.**
- ❑ **The President's approval is essential for a money bill.**

Significance :

- ❑ **Ensures fiscal matters are addressed with due consideration.**

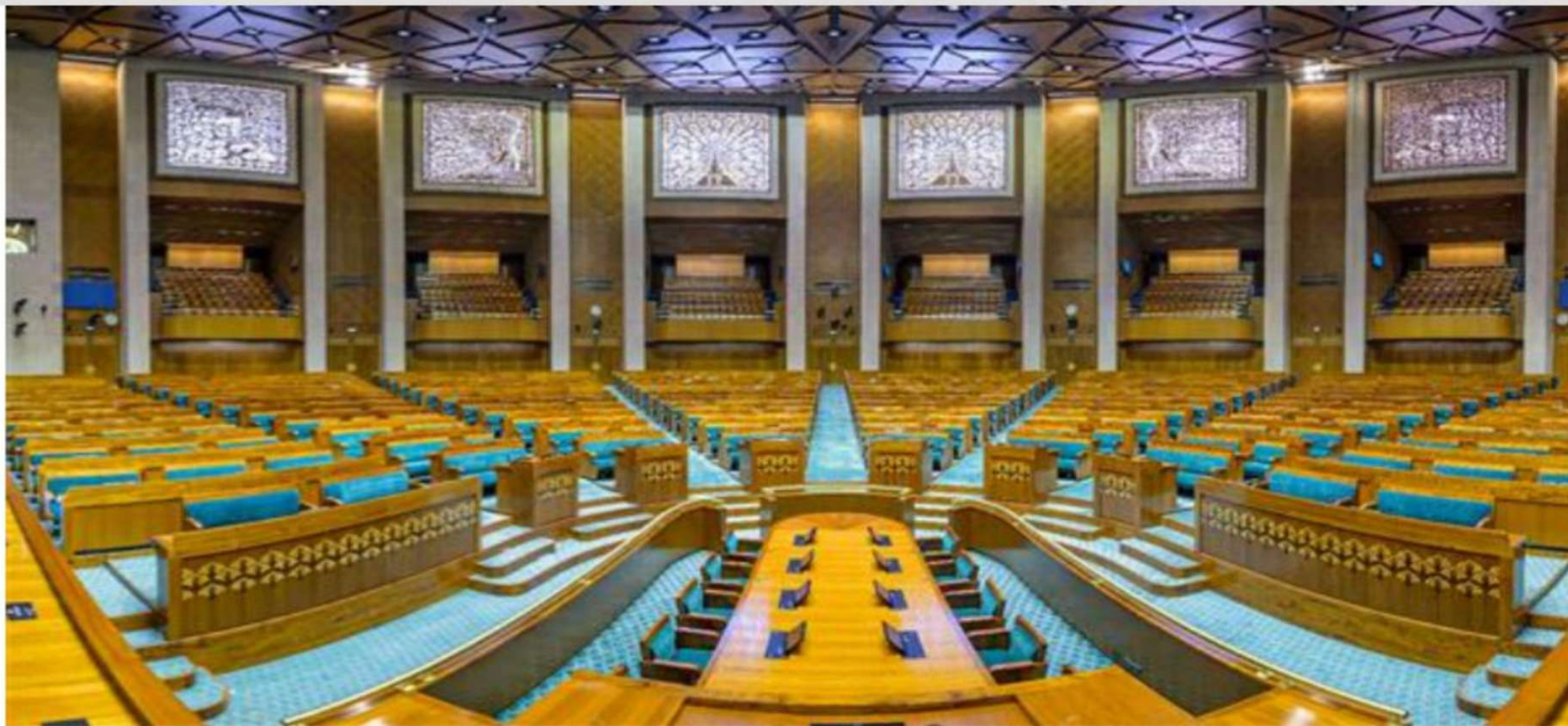
प्रक्रिया:

- ❑ धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- ❑ राज्य सभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, लेकिन वह संशोधन का सुझाव दे सकती है।
- ❑ धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है।

महत्व:

- ❑ यह सुनिश्चित करता है कि राजकोषीय मामलों को उचित विचार-विमर्श के साथ संबोधित किया जाए।







Article 110

Definition:

- ⊠ **Article 110(1) defines a Money Bill as a bill that exclusively contains provisions dealing with all or any of the following matters:**
- ⊠ **The imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax.**
- ⊠ **The regulation of borrowing by the government.**
- ⊠ **The custody of the Consolidated Fund or Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from such funds.**
- ⊠ **The appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India.**

अनुच्छेद 110.

परिभाषा :

- ⌘ अनुच्छेद 110(1) धन विधेयक को एक ऐसे विधेयक के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हैं:
- ⌘ किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- ⌘ सरकार द्वारा उधार लेने का विनियमन।
- ⌘ भारत की समेकित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे निधियों में धन का भुगतान या धन की निकासी।
- ⌘ भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।

Certification by the Speaker:

- ❑ **A Money Bill is introduced in the Lok Sabha (House of the People), and the decision of the Speaker of the Lok Sabha on whether a bill is a Money Bill or not is final.**
- ❑ **The Speaker certifies a bill as a Money Bill, and the bill is then sent to the Rajya Sabha (Council of States) for its recommendations. However, the Rajya Sabha cannot reject or amend the Money Bill.**

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण:

- ❑ एक धन विधेयक लोकसभा (लोगों का सदन) में पेश किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- ❑ अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, और फिर विधेयक को उसकी सिफारिशों के लिए राज्यसभा (राज्यों की परिषद) को भेजा जाता है। हालाँकि, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है।

Role of Rajya Sabha:

- ❑ **While the Rajya Sabha cannot reject a Money Bill, it can suggest amendments.**
- ❑ **The Money Bill must be returned to the Lok Sabha within 14 days, with or without the Rajya Sabha's recommendations. The Lok Sabha can either accept or reject these recommendations.**

राज्यसभा की भूमिका:

- ⌘ हालाँकि राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वह संशोधन का सुझाव दे सकती है।
- ⌘ धन विधेयक को राज्यसभा की सिफारिशों के साथ या उसके बिना, 14 दिनों के भीतर लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

President's Assent:

- ☒ **Once the Lok Sabha considers the Rajya Sabha's recommendations, or if the Rajya Sabha does not make any recommendations within the specified period, the Money Bill is presented to the President for assent.**
- ☒ **The President's assent is required for a Money Bill to become law.**

Significance:

- ☒ **Money Bills are a crucial component of the financial functioning of the government, dealing specifically with matters related to taxation, public expenditure, and financial management.**

राष्ट्रपति की सहमति :

- ❑ एक बार जब लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों पर विचार करती है, या यदि राज्यसभा निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सिफारिश नहीं करती है, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- ❑ धन विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।

महत्व:

- ❑ धन विधेयक सरकार के वित्तीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विशेष रूप से कराधान, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मामलों से निपटता है।

☒ Additional Notes:

- ☒ The definition and procedure for Money Bills are outlined in Article 110 to ensure fiscal matters are dealt with efficiency and without unnecessary delays.**
- ☒ The constitutional provisions regarding Money Bills aim to maintain a balance between the two Houses of Parliament while recognizing the preeminence of the Lok Sabha in financial matters.**

❑ अतिरिक्त टिप्पणी :

- ❑ यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजकोषीय मामलों को कुशलतापूर्वक और अनावश्यक देरी के बिना निपटाया जाए, धन विधेयक की परिभाषा और प्रक्रिया अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है।
- ❑ वित्तीय मामलों में लोकसभा की प्रधानता को मान्यता देते हुए संसद के दोनों सदनों के बीच संतुलन बनाए रखना है।



Parliamentary Committee:-

- ❑ **Parliamentary Committees play a crucial role in the functioning of the Indian Parliament. These committees are smaller groups of Members of Parliament (MPs) from both Houses, Lok Sabha (House of the People) and Rajya Sabha (Council of States), tasked with various responsibilities, including examination, review, and analysis of specific issues related to legislation, administration, and policy matters.**
- ❑ **Understanding the role and functioning of parliamentary committees is important for UPSC (Union Public Service Commission) aspirants. Here are some key points:**

☒ संसदीय समिति :-

- ☒ भारतीय संसद के कामकाज में संसदीय समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ दोनों सदनों, लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के संसद सदस्यों (सांसदों) के छोटे समूह हैं, जिन्हें संबंधित विशिष्ट मुद्दों की जांच, समीक्षा और विश्लेषण सहित विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। कानून, प्रशासन और नीति संबंधी मामले।
- ☒ यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के उम्मीदवारों के लिए संसदीय समितियों की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है। यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

☒ **Types of Parliamentary Committees:**

☒ **Standing Committees:**

- ☒ Permanent committees constituted to deal with various subjects, such as finance, home affairs, and external affairs.
- ☒ These committees are reconstituted every year.

☒ **Select Committees:**

- ☒ Formed for a specific purpose and for a limited duration.
- ☒ Usually set up to examine and report on bills.

☒ **Joint Committees:**

- ☒ Consist of members from both Lok Sabha and Rajya Sabha.
- ☒ Formed for specific purposes like the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament.

☒ संसदीय समितियों के प्रकार:

☒ स्थायी समितियों:

- ☒ वित्त, गृह मामले और विदेशी मामले जैसे विभिन्न विषयों से निपटने के लिए स्थायी समितियाँ गठित की गईं।
- ☒ इन समितियों का हर वर्ष पुनर्गठन किया जाता है।

☒ समितियों का चयन करें:

- ☒ एक विशिष्ट उद्देश्य और सीमित अवधि के लिए गठित।
- ☒ आमतौर पर बिलों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए स्थापित किया जाता है।

☒ संयुक्त समितियाँ:

- ☒ इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं।
- ☒ संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित।

☒ **Functions of Parliamentary Committees:**

☒ **Examination of Bills:**

- ☒ **Committees scrutinize bills in detail, seeking inputs from experts, stakeholders, and the public.**

☒ **Examination of Policies and Administration:**

- ☒ **Committees review government policies and programs, as well as the functioning of various ministries and departments.**

☒ **संसदीय समितियों के कार्य:**

☒ **विधेयकों की जांच:**

☒ समितियाँ बिलों की विस्तार से जांच करती हैं, विशेषज्ञों, हितधारकों और जनता से इनपुट मांगती हैं।

☒ **नीतियों और प्रशासन की परीक्षा:**

☒ समितियाँ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा करती हैं।

☒ **Budget Scrutiny:**

- ☒ The Public Accounts Committee (PAC) examines the government's audit reports and reports of the Comptroller and Auditor General (CAG).

☒ **Oversight of Government Functioning:**

- ☒ Committees oversee the implementation of government policies and programs.

☒ **Investigation and Inquiry:**

- ☒ Some committees, like the Ethics Committee, have the power to investigate matters related to the conduct of MPs.

Significance:

Specialization:

- ☒ Committees allow for specialized and detailed examination of issues by MPs with expertise in specific areas.

❑ बजट जांच:

- ❑ लोक लेखा समिति (पीएसी) सरकार की ऑडिट रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट की जांच करती है।

❑ सरकारी कामकाज की निगरानी:

- ❑ समितियाँ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।

❑ जांच और पूछताछ:

- ❑ आचार समिति जैसी कुछ समितियों के पास सांसदों के आचरण से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति है।

महत्व:

विशेषज्ञता:

- ❑ समितियाँ विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले सांसदों द्वारा मुद्दों की विशेष और विस्तृत जांच की अनुमति देती हैं।

☒ **Efficiency:**

- ☒ Committees contribute to the efficiency of parliamentary proceedings by dividing the workload.

☒ **Transparency:**

- ☒ Committee meetings are generally open to the public, ensuring transparency in decision-making processes.

☒ **Expertise:**

- ☒ Committees often include subject matter experts, ensuring informed decision-making.

☒ **Public Participation:**

- ☒ Some committees may seek public opinion and inputs, promoting public participation in the legislative process.

❑ क्षमता :

- ❑ समितियाँ कार्यभार को विभाजित करके संसदीय कार्यवाही की दक्षता में योगदान देती हैं।

❑ पारदर्शिता:

- ❑ समिति की बैठकें आम तौर पर जनता के लिए खुली होती हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

❑ विशेषज्ञता:

- ❑ समितियों में अक्सर विषय वस्तु विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो सूचित निर्णय लेना सुनिश्चित करते हैं।

❑ सार्वजनिक भागीदारी:

- ❑ कुछ समितियाँ विधायी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जनता की राय और इनपुट मांग सकती हैं।

☒ **Notable Committees:**

☒ **Public Accounts Committee (PAC):**

- ☒ Examines government expenditure and financial administration.

☒ **Estimates Committee:**

- ☒ Examines the estimates included in the budget and suggests economies in public expenditure.

☒ **Committee on Public Undertakings:**

- ☒ Examines the working of public sector undertakings.

☒ **उल्लेखनीय समितियाँ:**

☒ **लोक लेखा समिति (पीएसी):**

☒ **सरकारी व्यय और वित्तीय प्रशासन की जांच करता है।**

☒ **प्राक्कलन समिति:**

☒ **बजट में शामिल अनुमानों की जांच करता है और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देता है।**

☒ **सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति:**

☒ **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की जांच करता है।**

❏ **Motion and Resolution :-**

❏ **Understanding Motion and Resolution in Parliamentary Proceedings**

❏ **Definition of Motion:**

- ❏ A formal proposal made by a member during a parliamentary session for the purpose of discussing specific issues, making decisions, or seeking the House's opinion.

❏ **Definition of Resolution:**

- ❏ A formal expression of opinion, will, or intention by a legislative body, often presented as a proposal for action.

☒ गति और संकल्प :-

- ☒ संसदीय कार्यवाही में प्रस्ताव और संकल्प को समझना

☒ गति की परिभाषा:

- ☒ विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने, निर्णय लेने या सदन की राय लेने के उद्देश्य से संसदीय सत्र के दौरान किसी सदस्य द्वारा दिया गया औपचारिक प्रस्ताव।

☒ संकल्प की परिभाषा:

- ☒ किसी विधायी निकाय द्वारा राय, इच्छा या इरादे की औपचारिक अभिव्यक्ति, जिसे अक्सर कार्रवाई के प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

☒ **Types of Motions**

1. Substantive Motion:

Definition:

- ☒ **A motion that raises a substantial issue for the consideration of the House.**

Example:

- ☒ **A motion to discuss and vote on a new law or policy.**

2. Subsidiary Motion:

Definition:

- ☒ **A motion that assists the House in considering or facilitating the decision on the main motion.**

Examples:

- ☒ **Amendments, referral of a matter to a committee, or postponing a decision.**

☒ गतियों के प्रकार

1. मूल प्रस्ताव:

परिभाषा:

- ☒ एक प्रस्ताव जो सदन के विचारार्थ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है।

उदाहरण:

- ☒ किसी नए कानून या नीति पर चर्चा और मतदान करने का प्रस्ताव।

2. सहायक प्रस्ताव:

परिभाषा:

- ☒ एक प्रस्ताव जो मुख्य प्रस्ताव पर विचार करने या निर्णय को सुविधाजनक बनाने में सदन की सहायता करता है।

उदाहरण:

- ☒ संशोधन, किसी मामले को किसी समिति को सौंपना, या किसी निर्णय को स्थगित करना।

☒ Procedure for Moving a Motion

1. Notice Period:

- ☒ Many motions require prior notice to ensure members have adequate time for preparation.

2. Moving the Motion:

- ☒ A member presents the motion in the House, explaining its purpose and seeking the support of fellow members.

3. Debate and Voting:

- ☒ The motion is debated, and members express their views. A vote is then taken to decide whether the motion is accepted or rejected.

❏ प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया

1. सूचना अवधि:

- ❏ कई प्रस्तावों के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्यों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय हो।

2. प्रस्ताव आगे बढ़ाना:

- ❏ एक सदस्य सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, उसका उद्देश्य समझाता है और साथी सदस्यों का समर्थन मांगता है।

3. बहस और मतदान:

- ❏ प्रस्ताव पर बहस होती है और सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर यह तय करने के लिए मतदान किया जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या अस्वीकार किया गया है।

☒ **Types of Resolutions**

1. Simple Resolution:

☒ **Purpose:**

- ☒ Expresses the opinion, will, or appreciation of the House on various matters.

☒ **Example:**

- ☒ A resolution congratulating a sports team.

2. Special Resolution:

☒ **Purpose:**

- ☒ Deals with important matters requiring the approval of a special majority.

☒ **Example:**

- ☒ Amendments to the Constitution.
- ☒ Adoption of Resolutions

☒ संकल्पों के प्रकार

1. सरल संकल्प:

☒ उद्देश्य:

- ☒ विभिन्न मामलों पर सदन की राय, इच्छा अथवा सराहना व्यक्त करता है।

☒ उदाहरण:

- ☒ एक खेल टीम को बधाई देने वाला एक संकल्प।

2. विशेष संकल्प:

☒ उद्देश्य:

- ☒ विशेष बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों से निपटता है।

☒ उदाहरण:

- ☒ संविधान में संशोधन.

1. Discussion:

- ☒ Resolutions are often discussed in the House before voting.

2. Voting:

- ☒ Members cast their votes to determine whether the resolution is accepted or rejected.

3. Implementation:

- ☒ If accepted, the resolution is implemented according to its terms.

1. चर्चा:

- ✖ अक्सर वोटिंग से पहले सदन में प्रस्तावों पर चर्चा होती है।

2. मतदान:

- ✖ सदस्य यह निर्धारित करने के लिए अपना वोट डालते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या अस्वीकार किया गया है।

3. कार्यान्वयन:

- ✖ यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो संकल्प को उसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जाता है।

Significance of Motions and Resolutions

1. Decision-Making:

- ☒ **Motions and resolutions are integral to the decision-making process in parliamentary proceedings.**

2. Accountability:

- ☒ **They hold the government accountable by seeking clarification on policies and actions.**

3. Expression of Opinion:

- ☒ **Resolutions allow the House to express its collective opinion on various matters.**

☒ Conclusion

- ☒ **Motion and resolution are essential tools in parliamentary proceedings for decision-making, debate, and expressing the collective will of the House.**

प्रस्तावों और संकल्पों का महत्व

1. निर्णय लेना:

- ☒ प्रस्ताव और संकल्प संसदीय कार्यवाही में निर्णय लेने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।

2. जवाबदेही:

- ☒ वे नीतियों और कार्यों पर स्पष्टीकरण मांगकर सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं।

3. राय की अभिव्यक्ति:

- ☒ संकल्प सदन को विभिन्न मामलों पर अपनी सामूहिक राय व्यक्त करने की अनुमति देते हैं।

☒ निष्कर्ष

- ☒ निर्णय लेने, बहस करने और सदन की सामूहिक इच्छा व्यक्त करने के लिए संसदीय कार्यवाही में प्रस्ताव और संकल्प आवश्यक उपकरण हैं।

THANK YOU!